पीयू मायललाई हिचयो व अन्य

बनाम

मिजोरम राज्य व अन्य

11 जनवरी, 2005

[आर. सी. लाहोटी, सी.जे., शिवराज वी. पाटिल, के. जी. बालाकृष्णन,

बी. एन. श्रीकृष्णा और जी. पी. माथुर, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950 - छठी अनुसूची- (संविधान संशोधन अधिनियम 1988) द्वारा संशोधन अनुच्छेद 2 (1), 2 (6ए), 20 बीबी, अनुच्छेद 163:

जिला परिषदों का गठन - मंत्रिपरिषद के परामर्श से राज्यपाल द्वारा सदस्यों का नामांकन - आयोजित, राज्यपाल के पास सदस्यों को नामित करने की विवेकाधीन निहित है। मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहे - नामांकन वैध ठहराया गया।

जिला परिषद - मनोनीत सदस्य - सदस्यता की समाप्ति - नामांकित सदस्यों को पद पर बने रहने के लिए निर्धारित करने वाली योजना की वैधता-राज्यपाल के विवेक पर नहीं छोडी है, लेकिन मंत्रिपरिषद के परामर्श से समाप्ति मान्य है। राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य किया-

समाप्ति से पहले सदस्यों की सुनवाई न करना अवैध नहीं है क्योंकि वे राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करते थे।

विधानों की व्याख्या - प्राकृतिक नियम की प्रयोज्यता का लोप किसी क़ानून में स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से न्याय करने से क़ानून अमान्य नहीं होगा।

संविधान की छठी अनुसूची ने जिला परिषदों या क्षेत्रीय परिषदों की संस्था के माध्यम से असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक योजना विकसित की। योजना के अनुसरण में, मारा स्वायत्त जिला परिषद (एमएडीसी) का गठन किया गया था। मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करना था। 8.8.2000 को, राज्यपाल द्वारा चार व्यक्तियों को मनोनित किया गया था। 5.12.2001 को, राज्यपाल ने नामित सदस्यों की समाप्ति की अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद राज्यपाल ने 06.12.2001 को एक और अधिसूचना जारी कर चार व्यक्तियों को नामांकित किया । बर्खास्तगी और नए नामांकन को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में एकल न्यायाधीश ने समाप्ति आदेश को बरकरार रखा और चार में से तीन सदस्यों के नए नामांकन को रद्द कर दिया। अपीलार्थी और राज्य दोनों ने अपील की। डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, अपील करने के लिए विशेष अनुमति में, एक खंडपीठ ने विशेष अनुमति प्रदान की और

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मुद्दे में कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल था, मामला संविधान पीठ के समक्ष आया।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि समाप्ति आदेश बिना कोई भी नोटिस दिए पारित किया गया था और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ, दिनांक 6.12.2001 की अधिसूचना में पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (1) के तहत शक्तियों के आधार पर चार सदस्यों को नामांकित करना संवैधानिक रूप से वैध नहीं था और नामांकन के मामले में, राज्यपाल ने अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह स्वीकार की है और छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 बीबी के तहत इसमें निहित विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

1. राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे थे और 5.12.2001 राज्यपाल के आदेश से एम. ए. डी. सी. से चार सदस्यों की बर्खास्तगी पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों और संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार थी। दिनांक 6.12.2001 के आदेश द्वारा परिषद में चार सदस्यों का नामांकन वैध था और राज्यपाल ने उनमें निहित विवेकाधीन शक्ति के आधार पर कार्य किया।

2. पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ 6 ए से पता चलता है कि सदस्य मनोनीत व्यक्ति राज्यपाल की इच्छानुसार पद धारण करेगा। राज्यपाल को

पैरा 2 का पैरा 6ए के तहत परिषद की सदस्यता समाप्त करने की शक्तियां दी गई हैं। राज्यपाल को पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (6ए) के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के सम्बन्ध में पैराग्राफ 20बीबी के तहत कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। विवेकाधीन के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में, अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (6ए) के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति शामिल नहीं है। जबकि यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की जिस शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद(1) के तहत पैराग्राफ 2 का प्रयोग करते हुए किया जाना है, वह छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20-बीबी के तहत निर्धारित तरीके से किया जा सकता है। इस प्रकार, यह प्रावधान दिखाएंगे कि एम. ए. डी. सी. में चार सदस्यों के नामांकन में, राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते है जबकि पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (6ए) के तहत सदस्यों को समाप्त करने की शक्ति राज्यपाल के विवेक पर नहीं छोड़ी गई है, लेकिन वह उसी का प्रयोग करेगा जैसा कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत सरकार के लोकतांत्रिक रूप में परिकल्पित है जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों विशेषकर अनुच्छेद 163 में स्पष्ट किया गया।

3.1. जहाँ कहीं भी संविधान को किसी शक्ति या कार्य के प्रयोग के लिए राज्यपाल की संतुष्टि की आवश्यकता होती है, संविधान द्वारा अपेक्षित संतुष्टि राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत संवैधानिक अर्थों में संतुष्टि है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की

सहायता और सलाह से संविधान द्वारा या उसके तहत उन्हें प्रदान किए गए कार्यों का प्रयोग करता है और संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के तहत वह कार्य के आवंटन द्वारा राज्य सरकार के कार्य के सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम बनाने में सक्षम है। राज्यपाल के नाम पर की गई कार्यकारी कार्रवाई के लिए उन पर राज्य की किसी भी कार्यकारी कार्रवाई के लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता है और अनुच्छेद 300 में विशेष रूप से कहा गया है कि किसी राज्य की सरकार राज्य के नाम पर मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है, बशर्ते उसमें प्रतिबंध लगाए गए हों।

राम जवाया कपूर बनाम, पंजाब राज्य, ए.आई.आर. (1955) एस सी 549, ए. संजीवी नायडू बनाम. मद्रास राज्य, [1970] 3 एससीआर 505, 511 और यू. एन. आर. राव बनाम इंदिरा गांधी, [1971] 2 एस.सी.सी. 63 और सरदार लाल बनाम भारत संघ, [1971] 3 एस.सी.आर. 461, संदर्भित।

3.2. हस्तगत मामले में, सदस्यों ने राज्यपाल की इच्छा तक पद संभाला और मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह दी कि इन अपीलार्थियों की सदस्यता समाप्त कर दे और सभी प्रासंगिक अभिलेख राज्यपाल के समक्ष रखे गए। प्रासंगिक कागजातों से पता चलता है कि सभी प्रासंगिक फाइलों की सामग्री को राज्यपाल के संज्ञान में लाया गया था और उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार कर लिया था। चूंकि राज्यपाल के पास

कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं बची थी, इसलिए वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह से बंधे थे। परिषद से सदस्यों की बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय ने सही ठहराया है।

एडविंगसन बरेह बनाम असम राज्य और अन्य, चेलिया कोडेश्वरन बनाम सीलोन के महान्यायवादी, (1970) ए.सी. 1111, 1118 पी. सी. में संदर्भित।

4. संविधान की छठी अनुसूची संविधान का एक भाग है - और इसकी व्याख्या संविधान के अन्य प्रावधानों को भूलकर नहीं की जा सकती है। छठी अनुसूची को शेष संविधान से पूरी तरह से अलग करने की कल्पना करना असंभव है। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों को केवल छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार प्रशासित किया जाना है। नामित सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पर अपना पद भार ग्रहण् करते है। अनुच्छेद 311 के तहत उपलब्ध संवैधानिक संरक्षण और विशेषाधिकार राज्यपाल द्वारा नामित परिषद के सदस्य पर लागू नहीं होते।

5. प्राकृतिक न्याय के नियम का अनुप्रयोग यदि कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ छोड देता है तो इस चूक के लिए क़ानून मनमानेपन के आधार पर अमान्य नहीं होगा। इसलिये अपीलार्थीगण् का यह तर्क है कि उनका नामांकन/नियुक्ति समाप्त होने से पहले इन सदस्यों

को नहीं सुना गया था और इसलिए अवैध है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद संभालते है।

डॉ. रशलाल यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1994]5 एस.सी.सी.267 और ए. के. क्राईपाक बनाम भारत संघ,[1969] 2 एस.सी.सी. 262, संदर्भित।

6. मिजोरम के राज्यपाल को परिषद में चार सदस्यों को नामित करने की विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं । संविधान (संशोधन) अधिनियम 1988 द्वारा संविधान की छठी अनुसूची में पैराग्राफ 20 बीबी जोड़ा गया, जो स्पष्ट रूप से यह शक्ति देता है । पैराग्राफ 20 बीबी यह भी कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श करेगा और यदि वे आवश्यक समझे तो, संबंधित जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद से परामर्श करेंगा और ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह अपने विवेक से आवश्यक समझता है। इसलिए यह यह स्पष्ट है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श करेगा, लेकिन जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के साथ परामर्श वैकल्पिक है। राज्यपाल जिला परिषद या मंत्रिपरिषद से भी परामर्श कर सकते थे, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि राज्यपाल उसमें निहित विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहा। राज्यपाल ने उचित परामर्श करने के बाद अपने विवेक का प्रयोग किया जैसा कि छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 बीबी के तहत परिकल्पना की गई है और चार सदस्यों का नामांकन वैध रूप से

किया गया था। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 163 (2) स्पष्ट रूप से ऐसी विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग की वैधता को चुनौती देने से मना करता है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 661-662/2003

असम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.ए. 181 व 182/ 2002 निर्णय और आदेश दिनांकित 27.6.2002 से

अपीलार्थी की तरफ से मैसर्स लॉयर्स के निट व कम्पनी की ओर अनिल नौरिया, सुश्री बीना माधवन और सुश्री सुमिता हजारिका

प्रत्यर्थी की ओर से यू. यू. ललित, प्रसन्नजीत केसवानी, सुश्री हेमंतिका वाही और अजय चौधरी।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

के. जी. बालाकृष्णन, जे. संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों ने जिला परिषदों या क्षेत्रीय परिषदों की संस्था के माध्यम से असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक अलग योजना विकसित की है। इन परिषदों को निर्दिष्ट विषयों पर विधायी शक्ति, कराधान के आवंटित स्रोत और न्याय प्रणाली की स्थापना और प्रशासित करने और भूमि, राजस्व, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वनों आदि के संबंध में प्रशासनिक और कल्याणकारी सेवाओं को बनाए रखने की शक्तियाँ दी है।

मारा स्वायत्त जिला परिषद, जिसे इसके बाद "एम.ए.डी.सी". के रूप में संदर्भित किया जाएगा, का गठन भारत के संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) के साथ पढे गये पैराग्राफ 20 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। एम. ए. डी. सी. में 19 निर्वाचित सदस्य होते हैं और चुनाव वयस्क मताधिकार के माध्यम से होता है और चार सदस्यों को मिजोरम के राज्यपाल द्वारा संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) के साथ पैराग्राफ 20 बी. बी. के तहत उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर नामित किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल परिषद के आम चुनाव के बाद परिषद की पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच साल की अवधि के लिए होता है और चार नामित सदस्य राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करते हैं। आम चुनाव के बाद परिषद की पहली बैठक 9.2.2000 पर आयोजित की गई थी और 8.8.2000 चार सदस्यों, अर्थात् श्रीमती लाल बियाकलुआंगी सैलो, श्री माइलाई हिचो, श्री सी. लॉबेई और श्री एस. लालरेमथंगा को मिजोरम के राज्यपाल द्वारा छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20बी बी के साथ पठित पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (1) और स्वायत्त जिला परिषद (जिला परिषदों का गठन और कार्य संचालन) नियम, 1974 के नियम 7 के उप-नियम (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एम.ए.डी.सी.के सदस्यों के रूप में नामित किया गया था।

मिजोरम के राज्यपाल ने 5.12.2001 पर जारी एक अधिसूचना द्वारा 8.8.2000 पर नामित चार सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन को समाप्त कर

दिया। इसके बाद 6.12.2001 को एक और अधिसूचना जारी की गई जिसके तहत चार सदस्यों को एम. ए. डी. सी. के लिए नामित किया गया था। यह भी इंगित किया कि एक सदस्य, अर्थात्, के. चियामा ने 4.12.2001 को कार्यकारी समिति के खिलाफ सचिव, एम. ए. डी. सी. को विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सभापति ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए अनुमति दे दी और इस पर 6.12.2001 को चर्चा और पर मतदान किया जाना था। चर्चा की तारीख और अविश्वास प्रस्ताव का मतदान 6.12.2001 से 7.12.2001 तक स्थगित कर दिया गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आइजोल पीठ के समक्ष दायर एक रिट याचिका में चार सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति और नए सदस्यों के नामांकन को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश द्वारा 6.12.2001 की अधिसूचना को निलंबित कर दिया, जिसके तहत नए सदस्यों को एम.ए.डी.सी. के लिए नामित किया गया था। एम. ए. डी. सी. के नामांकन के निलंबन के आदेश से व्यथित, मिजोरम राज्य ने 2001 की रिट अपील संख्या 518 के रूप में डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील दायर की। प्रारंभ में, खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई अधिसूचना के निलंबन के आदेश पर एकतरफा रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद निर्देश दिया कि रिट याचिका दायर की जाए व सुनवाई विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की जाए और उसका निपटारा किया जाए।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 18.4.2002 के आदेश द्वारा रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी। चार सदस्यों में से तीन का नामांकन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया था। हालाँकि, 5.12.2001 दिनांकित अधिसूचना जिसमें चार सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बरकरार रखी गई थी। राज्य द्वारा दायर की गई रिट अपील में, दिनांक 6.12.2001 की अधिसूचना को रद्द करने को चुनौती दी गई थी और रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा एक अलग रिट अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत दिनांकित 5.12.2001 अधिसूचना को बरकरार रखा गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दोनों अधिसूचनाओं की वैधता को बरकरार रखा और उसी से व्यथित होकर, वर्तमान अपील दायर की गई हैं।

जब मामला 27.1.2003 को न्यायाधीशों की खण्डपीठ के समक्ष विचार के लिए आया तो निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" अनुमति दे दी गई।

इस अपील में जो मुद्दा उठाया गया है, वह संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20-बी. बी. के साथ पढ़े गये पैराग्राफ 2 (1) और उप-पैराग्राफ (6ए) की व्याख्या से संबंधित है । विवाद मिजोरम की जिला परिषदों में व्यक्तियों

को नामांकित करने व हटाने में राज्यपाल द्वारा प्रयोग किये जाने वाले विवेक की प्रकृति पर केंद्रित है । हमारा विचार है कि यह मुद्दा संवैधानिक व्याख्या के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, ऐसे प्रावधान जिनका पूरे मिजोरम राज्य पर प्रभाव पडेगा। अनुच्छेद 145 (3) की शर्तों के अनुसार, इस मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए। अंतरिम राहत के लिए आवेदन भी मुख्य अपील के साथ सन्दर्भित किया जाता है।"

इसके बाद, मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष दिनांक 28-07-2004 को आया और दिनांक 27-01-2003 के आदेश को देखते हुए पीठ ने कहा कि इस मामले को संविधान पीठ द्वारा सुने जाने की आवश्यकता है।

हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता और मिजोरम राज्य के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

संविधान की छठी अनुसूची के प्रासंगिक प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में इस प्रकार है -

" 1. स्वायत्त जिला और स्वायत्त क्षेत्र।

2. जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का गठन -

(1) प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जिसमें तीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से चार से अधिक व्यक्तियों को राज्यपाल द्वारा नामित नहीं किया जाएगा और बाकी का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा।

(2) .....

(3) प्रत्येक जिला परिषद और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद क्रमशः "जिला परिषद (जिले का नाम)" और "क्षेत्रीय परिषद (क्षेत्र का नाम)" के नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर होगी और उक्त नाम से मुकदमा दायर किया जाएगा और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।

(4) .....

(5) .....

(6) .....

(6क) जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य परिषद के आम चुनावों के बाद परिषद की पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जब तक कि - जिला परिषद को पैराग्राफ 16 और ए

के तहत जल्द ही भंग नहीं कर दिया जाता, मनोनीत सदस्य राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करेगा, बशर्ते कि पाँच वर्ष की उक्त अवधि, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू है या यदि परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो, राज्यपाल की राय, चुनाव के आयोजन को अव्यवहारिक बनाती है, राज्यपाल द्वारा छ माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा, के दौरान हो सकती है।

बशर्ते कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित सदस्य केवल पद के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करें जिसे वह प्रतिस्थापित करेगा।

(7) ....."

संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 [1988 का 67] (धारा 2) द्वारा किए गए संशोधन के आधार पर "20बीबी" के रूप में एक नया पैराग्राफ जोड़ा गया था। जिसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता हैः

"20-बीबीः राज्यपाल द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (2) और (3) के तहत कार्य, उप पैराग्राफ 2 के पैराग्राफ (1) और (7), पैराग्राफ 2 के उप- पैराग्राफ (3), पैराग्राफ 4 का उप- पैराग्राफ (4), पैराग्राफ 5, उप- पैराग्राफ

(1) पैराग्राफ 6 का, पैराग्राफ 7 का उप- पैराग्राफ (2), उप-पैराग्राफ (3) पैराग्राफ 9, पैराग्राफ 14 का उप-पैराग्राफ (1), उप-पैराग्राफ (1) पैराग्राफ 15 और पैराग्राफ 16 के उप-पैराग्राफ (1) और (2) इस अनुसूची के परामर्श के बाद किया जाएगा यदि वह आवश्यक समझता है तो संबंधित जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद संबंधित, ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह अपने विवेक से आवश्यक समझता है।"

उपरोक्त प्रावधानों से पता चलता है कि पैराग्राफ 2 के उप-नियम (1) के तहत, मिजोरम के राज्यपाल एम. ए. डी. सी. में चार सदस्यों को नामित करने के लिए सक्षम है। पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ 6ए के तहत परिषद की सदस्यता समाप्त करने की शक्तियां दी गई है। राज्यपाल को पैराग्राफ 20बीबी के तहत पैराग्राफ 2 के उप- पैराग्राफ (6ए) के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। अपने कार्यों के निर्वहन में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों उप पैराग्राफ के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति (6 पैराग्राफ 2 का ए) शामिल नहीं है, जबकि यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति का उपयोग छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20-बीबी के तहत निर्धारित तरीके से किया जा सकता है। इस प्रकार, इन प्रावधानों से पता चलेगा कि एम. ए. डी. सी. में चार सदस्यों के नामांकन के संबंध में, राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर

सकता है, जबकि पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (6ए) के तहत सदस्यों को समाप्त करने की शक्ति राज्यपाल के विवेकाधिकार पर नहीं छोड़ी गई है, लेकिन वह उसी का प्रयोग करेगा जैसा कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत परिकल्पना की गई है । संविधान के विभिन्न प्रावधानों, विशेष रूप से अनुच्छेद 163 द्वारा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है, जिसका निम्नलिखित प्रभाव हैः

> "163. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद-
>
> (1) मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देगी, सिवाय इसके कि कि जब तक वह संविधान के तहत अपने कार्यों को अपने विवेक से निष्पादित करने के लिए बाध्य न हो।
>
> (2) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई मामला है या नहीं, जिन पर राज्यपाल को इस संविधान के तहत या उसके तहत आवश्यकता है, अपने विवेक से कार्य करने की आवश्कता है, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा और इसकी वैधता होगी। राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी कार्य

पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने विवेक से काम लिया है या नहीं लिया है।

(3) यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी गई थी, और यदि हां तो क्या किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी।"

राज्यपाल के लिए कई शक्तियाँ और कर्तव्य हैं और कुछ शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक से किया जाना है और कुछ अन्य शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से किया जाना है। अनुच्छेद 154 (1) के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास निहित हैं। अनुच्छेद 163 (1) में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके साथ राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री से, जहां तक वह इस संविधान द्वारा या उसके तहत है, को छोड़कर, अपने या उनमें से किसी भी कार्य को अपने विवेक से करने की अपेक्षा की जाती है।

अनुच्छेद 163 (2) में कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो क्या कोई मामला है या नहीं जिसमें राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल का विवेकाधिकार से लिया निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल की द्वारा किये गये किसी भी कार्य की वैधता होगी और उसे इस आधार पर प्रश्नचिन्हित नहीं किया जाएगा कि

राज्यपाल ने अपने विवेक से काम लिया है या नहीं। संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 143 को संविधान में अनुच्छेद 163 बना दिया गया है। संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 144 (6) में कहा गया है कि उस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी में अपनें विवेक का प्रयोग करेगा। राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ और कार्य हैं जो राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियों की चर्चा करते है। ये हैं - 371ए (1) (बी), 371ए (1) (डी), 371ए (2) (बी) और 371ए (2) (एफ)। इसी तरह, छठी अनुसूची में कुछ प्रावधान हैं, जिनमें राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ शक्तियों के संबंध में शब्द "उनके विवेकानुसार" उपयोग किया जाता हैं।

हमारे संविधान में संघ और राज्यों दोनों के लिए ब्रिटिश मॉडल की संसदीय सरकार या मंत्रिमंडल प्रणाली की परिकल्पना की गई है - जैसा कि हमारे संविधान में सन्निहित है, मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है और वह संविधान द्वारा या उसके तहत उसे प्रदत्त अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का उपयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर करता है, सिवाय उन क्षेत्रों के जहां राज्यपाल को संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से अपने कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।

कार्यकारी शक्ति विधायी या कुछ न्यायिक कार्यों में भी भाग लेती है। जहाँ कहीं भी संविधान को किसी भी शक्ति या कार्य के प्रयोग के लिए

राज्यपाल की संतुष्टि की अपेक्षा करनी होती है, संविधान द्वारा अपेक्षित संतुष्टि राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत संवैधानिक अर्थों में संतुष्टि है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से संविधान द्वारा या उसके तहत उन्हें प्रदान किए गए कार्यों का प्रयोग करता है और वह इसके लिए सक्षम है -

संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के तहत मंत्रियों के बीच कार्य के आवंटन द्वारा राज्य सरकार के कार्य के सुविधाजनक लेन-देन के लिए नियम बनाना। यह अंग्रेजी संविधान का एक मौलिक सिद्धांत कि मंत्रियों को प्रत्येक कार्यकारी कार्य के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि राज्यपाल के नाम पर की गई कार्यकारी कार्रवाई के संबंध में, उन पर राज्य की किसी भी कार्यकारी कार्रवाई के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और अनुच्छेद 300 में विशेष रूप से कहा गया है कि किसी राज्य की सरकार राज्य के नाम पर मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है उसमें लगाए गए प्रतिबंध के अधीन। इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राज्यपाल की शक्तियाँ ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के तहत क्राउन की शक्तियों के समान हैं। हमने राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1955) एस. सी. 549, ए. संजीव नायडू बनाम मद्रास राज्य, 289 एच. एल. आई. सी. एच. ओ वी. स्टेट. [बालकृष्णन जे.][1970] 3 एससीआर 505,511 और यू. एन. आर.

राव बनाम इंदिरा गांधी, [1971] 2 एस. सी. सी. 63 में इस सिद्धांत का पालन किया।

सरदारी लाल बनाम भारत संघ [1971]3 एस. सी. आर. 461 में एक विसंगत टिप्पणी की गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत राष्ट्रपति के कार्यों को संघ के सिविल सेवक के मामले में किसी और को नहीं सौंपा जा सकता है और राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होना होगा कि राज्य की सुरक्षा के हित में अनुच्छेद 311 (2) के तहत निर्धारित जांच करना समीचीन नहीं है।

शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1974] 2 एस. सी. सी. 831, में यह माना गया कि सरदारी लाल के मामले में निर्णय सही सिद्धांतों को निर्धारित नहीं करते थे क्योंकि इस तरह का निर्णय ए. संजीवी नायडू के मामले और यू. एन. आर. राव के मामले के विपरीत था और उन निर्णयों को न तो संदर्भित किया गया था और न ही सरदारी लाल के मामले में उन पर विचार किया गया था। शमशेर सिंह के मामले में (ऊपर), की शक्तियाँ राज्यपाल पर विस्तार से विचार किया गया।

शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, [1974] 2 एससीसी 831 मामले में राज्यपाल की शक्तियों का दायरा और विस्तार का मामला सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार हेतु आया, वहाँ दोनों अपीलार्थी पंजाब में अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य थे। जिस पर पंजाब और

हरियाणा उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर, दो अपीलार्थी-न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख के रूप में नियुक्ति की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग कर सकते हैं और न्यायिक सेवा के सदस्यों को केवल व्यक्तिगत रूप से हटा सकते हैं, जबकि राज्य ने तर्क दिया कि राज्यपाल राज्य या सरकार की कार्यकारी शक्तियों की तरह संविधान द्वारा या उसके तहत उन्हें प्रदान की गई नियुक्ति और हटाने की शक्तियों का प्रयोग केवल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर करता है, न कि व्यक्तिगत रूप से। बहुमत के लिए बोलते हुए, राय, मुख्य न्यायाधिपति ने कहाः"

> "हमारा संविधान आम तौर पर संघ और राज्य दोनों के लिए ब्रिटिश मॉडल की संसदीय मंत्रीमण्डल सरकार की प्रणाली का प्रतीक है। इस प्रणाली के तहत, राष्ट्रपति संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है और वह उसे प्रदत्त शक्तियों और कार्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर करता है। अनुच्छेद 103 मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता के लिए अपवाद है क्योंकि ये विशेष रूप से प्रदान करता है कि राष्ट्रपति केवल चुनाव आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, यह तब होता है जब कोई सवाल उठता है कि क्या कोई संसद का सदस्य अनुच्छेद 102 के

खंड (1) में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन हो गया है। संविधान का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है और वह अपनी सभी संविधान द्वारा या उसके अधीन शक्तियों और कार्यों का प्रयोग अपनी मंत्रीपरिषद की सहायता और सलाह पर करता है जो उसे प्रदत्त हैं, उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां राज्यपाल को अपने विवेक से अपने कार्यों का करने की आवश्यकता होती है।"

हस्तगत मामले में, सदस्यों ने राज्यपाल की इच्छा तक पद संभाला था। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को इन अपीलार्थियों की सदस्यता समाप्त करने की सलाह दी और सभी प्रासंगिक अभिलेख राज्यपाल के समक्ष रखे गए। प्रासंगिक कागजातों से पता चलता है कि सभी प्रासंगिक फाइलों की सामग्री को राज्यपाल के संज्ञान में लाया गया था और उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार कर लिया था। चूंकि राज्यपाल के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं बची थी, इसलिए वह परिषद द्वारा दी गई सलाह से बंधे थे। मंत्री परिषद से सदस्यों की बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय ने सही ठहराया है।

अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि संविधान की छठी अनुसूची अनुसार "संविधान के भीतर एक संविधान" है और मिजोरम का राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं है और

मिजोरम के राज्यपाल की शक्ति संविधान के बाकी हिस्सों से स्वतंत्र है। यह तर्क भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला द्वारा व्यक्त की गई राय के आधार पर उठाई गई थी, जब वे 1978 में गुवाहाटी में अपने तीसरे अनुंदोरम बरुआ कानून व्याख्यान में थे, हिदायतुल्ला, मुख्य न्यायाधिपति ने मिजोरम राज्य के गठन के इतिहास बताया और संविधान की छठी अनुसूची का भी समावेश किया । उनके व्याख्यान में, यह कहा गया कि -

"..राज्यपाल के लिए परिषद से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है। वह ऐसा कर सकता है लेकिन वह उनकी सलाह स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इन क्षेत्रों का पूरा इतिहास, छठी अनुसूची के अधिनियम में जाने से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है।"

इसके आधार पर यह तर्क दिया गया कि आदिवासी क्षेत्रों को केवल छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार प्रशासित किया जाना है। अपीलार्थियों के इस तर्क को विभिन्न कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। छठी अनुसूची संविधान का एक हिस्सा है और संविधान के अन्य प्रावधानों को भूलकर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। छठी अनुसूची को शेष संविधान से पूरी तरह से अलग करने की कल्पना करना असंभव है। जहां तक संविधान में छठी अनुसूची को शामिल करने का एक विधायी इतिहास है, लेकिन यह अपने आप में यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि छठी अनुसूची "संविधान के भीतर संविधान है"। इस मामले का

यह पहलू एडविंगसन बारेह बनाम असम राज्य और अन्य(इन्फ्रा) में विचार के लिए आया था। उस निर्णय में बहुमत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। यह एक ऐसा मामला था जिसमें असम के राज्यपाल की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसमें 01-12-1964 से अलग से जोवाई जिला बनाकर इसे संयुक्त खासी-जयंतिया पहाड़ी जिले से अलग कर दिया गया। राज्यपाल द्वारा एक आयोग नियुक्त किया गया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किया गया और उसने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने का निर्णय लिया। एक ज्ञापन तैयार किया गया था और पूरी फाइल राज्यपाल के सामने रखी गई, जिन्होंने फाइल को पढ़ने के बाद "देखा, धन्यवाद" रिकॉर्ड किया। इसके बाद विधानसभा ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और नया जिला बनाने की अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना को उस मामले में चुनौती दी गई थी। अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि राज्यपाल ने अपने अधिकार से बाहर काम किया। अपीलार्थियों की याचिका खारिज कर दी गई और यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य किया और प्रत्यर्थियों द्वारा दायर हलफनामे से पता चलता है कि इस मामले पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किया गया था और कार्यवाहियों को राज्यपाल के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने कार्यवाहियों को पढ़ा और "देखा, धन्यवाद" शब्दों के साथ अपनी सहमति व्यक्त की, और न्यायालय ने अभिनिर्धारित

किया कि यह छठी अनुसूची के पैरा 14 (2) द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार था। इसलिए, यह तर्क कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे नहीं थे, केवल खारिज किये जाने योग्य है।

परिषद से चार सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति को इस आधार पर भी चुनौती दी गई थी कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था और उनकी बात नहीं सुनी गई थी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि ये सदस्य राज्यपाल की इच्छा पर अपना पद संभालते थे।

आम तौर पर, "प्रसादपर्यन्त" सिद्धांत तब लागू होता है जब क्राउन सेवक की नियुक्ति समाप्त होती है। चेलिया कोडीश्वरन बनाम सीलोन के महान्यायवादी, (1970) ए. सी. 1111 ने 1118 पी. सी. में लॉर्ड डिप्लॉक ने अंग्रेजी कानून को इस प्रकार कहाः

> "यह अब किसी भी तरह से ब्रिटिश संवैधानिक सिद्धांत में अच्छी तरह से स्थापित है। जैसा कि यह अठारहवीं शताब्दी से विकसित हुआ है, कि एक क्राउन सेवक, के रूप में कोई भी नियुक्ति चाहे वह कितनी ही अधीनस्थ है, इच्छानुसार समाप्त किया जा सकता है यह स्पष्ट रूप से अन्यथा कानून द्वारा प्रदान किया गया है ।

अनुच्छेद 311 के तहत संवैधानिक संरक्षण और विशेषाधिकार ऐसे व्यक्ति के लिए जो संघ या राज्यों के तहत सिविल पद रखता है, उपलब्ध है । राज्यपाल द्वारा नामित परिषद के सदस्य पर लागू नहीं होता है।"

इस न्यायालय ने डॉ. रशलाल यादव बनाम में बिहार राज्य और अन्य, [1994] 5 एस. सी. सी. 267 ने अभिनिर्धारित किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत व्यक्त शब्दों के अभाव में लागू नहीं होते हैं। वह एक ऐसा मामला था जहाँ बिहार स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने को चुनौती दी गई थी। ए. के. क्राईपाक बनाम भारत संघ, [1969] 2 एस. सी. सी. 262, में पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह माना गया था कि यदि क़ानून, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से प्राकृतिक न्याय के नियम के अनुप्रयोग को छोड़ देता है, तो मनमानी के इस आधार पर इस चूक के लिये क़ानून को अमान्य नहीं किया जाएगा।

इसलिए, अपीलार्थियों का यह तर्क है कि इन सदस्यों के उनके नामांकन/नियुक्ति को समाप्त करने से पहले परिषद के सदस्यों की सुनवाई नहीं की गई थी और इसलिए अवैध है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे राज्यपाल की इच्छा पर अपना पद संभालते थे।

अगला बिन्दु जो विचार के लिए उठाया गया था वह यह है कि क्या पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) के तहत शक्तियों के आधार पर परिषद में

चार सदस्यों को नामित करने वाली दिनांक 6.12.2001 की अधिसूचना संवैधानिक रूप से कानूनी थी। जैसा कि पूर्व में देखा जा चुका है, मिजोरम के राज्यपाल को परिषद में चार सदस्यों को नामित करने के लिए विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। 1988 के अधिनियम 67 द्वारा संविधान की छठी अनुसूची में अंतःस्थापित पैरा 20 बीबी स्पष्ट रूप से यह शक्ति देता है। पैराग्राफ 20 बीबी यह भी कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श करेगा और यदि वह इसे आवश्यक समझे तो, संबंधित जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद से, और ऐसी कार्रवाई करे जो वह अपने विवेकाधिकार में आवश्यक समझे। अतः यह स्पष्ट है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श करेंगे, लेकिन जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के साथ परामर्श वैकल्पिक है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने एम. ए. डी. सी के चार सदस्यों को नामित करने के लिए, मामले को राज्यपाल के ध्यान में लाने में मिजोरम सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में त्रुटि पाई ।

अपीलार्थियों के वकील ने तर्क दिया कि चार सदस्यों के नामांकन के मामले में, राज्यपाल ने अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार कर लिया और उन्होंने छठी अनुसूची के पैरा 20 बीबी के तहत उनमें निहित की गई विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। यह तर्क इस आधार पर उठाया गया था कि अधिसूचना दिनांक 6.12.2001 जारी करने की पहल मंत्रीपरिषद ने की और राज्यपाल ने मंत्रीपरिषद की सलाह पर कार्य किया। हम इस विवाद में कोई ताकत नहीं पाते हैं। पैराग्राफ 20 बीबी के प्रावधानों

के तहत, राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श करेगा। केवल इस तथ्य के कारण कि राज्यपाल ने चार सदस्यों को नामित करने के लिए मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श किया, यह नहीं माना जा सकता है कि राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहे। राज्यपाल इस संबंध में जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद से भी परामर्श कर सकते थे। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि राज्यपाल ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संविधान का अनुच्छेद 163 (2) स्पष्ट रूप से ऐसी विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग की वैधता को चुनौती देने से रोकता है।

वकील ने यह भी तर्क दिया कि छठी अनुसूची में पैराग्राफ 20-बीबी को संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 67) द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासकों को अधिक स्वायत्त शक्तियां देने के उद्देश्य से जोड़ा गया था और यही कारण है कि राज्यपाल को अधिक विवेकाधीन शक्तियां दी गई थी और संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 में दिये गये उद्देश्य और कारणों से स्पष्ट है और यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्यपाल को स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए तथा परिषद की ओर से कोई भी सलाह या निर्देश, आपत्तिजनक होगा एवं अधिसूचना को अवैध बना देगा।

1988 के अधिनियम 67 के उद्देश्यों और कारणों का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है -

निम्नलिखित हैः

" 1 .....

2. समय के साथ, छठी अनुसूची के तहत आने वाले मिजोरम के अल्पसंख्यक आदिवासियों को यह महसूस होने लगा है कि छठी अनुसूची के तहत उनकी स्वायत्तता अधिक सार्थक होगी और जिला परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों की मंजूरी, उनके सदस्यों का नामांकन, उनकी नियुक्ति जैसे मामलों में उन पर सरकार उनके प्रशासन, उनके विघटन आदि की जांच के लिए आयोग जैसे मामलों में यदि राज्य का समग्र नियंत्रण कम हो तो वे तेजी से प्रगति कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने यह दर्शाया है कि राज्यपाल को इन मामलों में अपने विवेक से शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए । मिजोरम पर समझौता के ज्ञापन में एक प्रावधान यह है कि संविधान में परिकल्पित मिजोरम में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को संरक्षित और संरक्षित किया जाता रहेगा। इसी प्रकार, त्रिपुरा पर समझौता ज्ञापन, जनजातीय हितों के संरक्षण हेतु एक प्रतिबद्धता है।

3. ज्ञापन के अनुसरण में और मिजोरम और त्रिपुरा के अल्पसंख्यक आदिवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल अपने कुछ कार्यों के निर्वहन में अपने विवेक से कार्य करेगा । संसद और राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों के अनुप्रयोग से संबंधित प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा असम राज्य के संबंध में संबंधित प्रावधान में प्रयुक्त भाषा के अनुरूप ली जाकर अवसर का लाभ उठाया गया है । बिल जिला परिषदों को रॉयल्टी के हिस्से पर कमाई करने के लिए एक समय सीमा भी प्रदान करता है।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

संशोधन अधिनियम के उद्देश्य और कारणों पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थियों के अधिवक्ता का तर्क है कि राज्यपाल को परिषद में सदस्यों को नामित करने के लिये विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं और तथ्यों से पता चला कि उन्होंने मंत्री परिषद की सहायता व सलाह से सदस्यों को नामित किया था जो कि पैराग्राफ २० बी बी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था और छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार परिकल्पित स्वायत्तता को सही और सार्थक महत्व नहीं दिया गया है। अपीलार्थियों का यह तर्क रहा है कि छठी

अनुसूची में पैराग्राफ २०बी बी को शामिल किया जाकर राज्य को आदिवासीयों की स्वायत्तता की रक्षा के लिये अधिक विवेकाधीन शक्तियां दी गई है और यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है और स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है, तो कानून का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है। इस तथ्य के अलावा, कि मंत्रिपरिषद से शुरू की गई नए सदस्यों को नामित करने की फाइल, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि राज्यपाल उनमें निहित विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहे। राज्यपाल ने उचित परामर्श करने के बाद अपने विवेक का प्रयोग किया, जैसा कि छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 बी. बी. के तहत परिकल्पना की गई है, और चार सदस्यों का नामांकन वैध रूप से किया गया था।

परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता के लिए बाध्य था और एम. ए. डी. सी. से चार सदस्यों की बर्खास्तगी का राज्यपाल का आदेश दिनांक 05-12-2001 पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों और संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार था। दिनांक 6.12.2001 के आदेश द्वारा परिषद के चार सदस्यों का नामांकन वैध था और राज्यपाल ने उनमें निहित विवेकाधीन शक्तियों के आधार पर कार्य किया। राज्यपाल का मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श करना उचित था और राज्यपाल का मंत्रिपरिषद के साथ इस तरह का आकस्मिक परामर्श करना किसी भी तरह से उनकी विवेकाधीन शक्ति को प्रभावित नहीं करता।

किसी अन्य प्राधिकारी ने एमएडीसी में चार सदस्यों को नामित करने में राज्यपाल के विवेक के स्वतंत्र कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया और दिनांक 6.12.2001 को राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना वैध रूप से जारी की गई थी तथा गौहाटी उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपीलें बिना किसी योग्यता के हैं और तदनुसार खारिज की जाती है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

याचिकाएं खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती ललिता शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।